न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 22/2017 प्रार्थना पत्र

अनवान

1. श्री नारायणलाल पिता खेमा तेली निवासी गोराणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
2. श्री गणेशलाल पिता खेमा मेली निवासी गोराणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
3. श्री भगवतीलाल पिता खेमा तेली निवासी गोराणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रतनलाल पिता नारायणलाल कलाल निवासी बस स्टेण्ड गोगुन्दा जिला उदयपुर
2. श्री शांतिलाल पिता नारायणलाल कलाल निवासी बस स्टेण्ड गोगुन्दा जिला उदयपुर।
3. श्री नरेश पिता नारायणलाल कलाल निवासी बस स्टेण्ड गोगुन्दा जिला उदयपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाडोल जिला उदयपुर

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 28.01.2021

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि मौजा देवास, पटवार सर्कल देवास, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर में कृषि भूमि स्थित है जिसके निम्नानुसार आराजियात है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	2871	0.03	0.09
2	2872	0.03	0.09
3	2873	0.03	0.09
4	2874	0.04	0.12
5	2875	0.03	0.09
6	2876	0.04	0.12
7	2877	0.03	0.09
8	2878	0.02	0.06
9	2879	0.04	0.12
10	2880	0.04	0.12
11	2884	0.05	0.16
12	2886	0.02	0.06
13	2887	0.01	0.03
14	2888	0.01	0.03
15	2889	0.07	0.22
16	2882	0.07	0.22
17	2883	0.14	0.44
18	2885	0.08	0.25
19	3083/2881	0.70	2.18
कुल किता	19	1.58	4.58

सहायक कलक्टर, झाड़ोल जिला उदयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
झाड़ोल (क), जिला उदयपुर

2. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण ने दिनांक 23.09.1995 को विपक्षी संख्या 1 से 3 के पूर्वज नारायण पिता मगनलाल कलाल से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं उक्त दिनांक से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है।

3. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि श्री नारायणलाल पिता मगनलाल कलाल द्वारा दिनांक 23.09.1995 को प्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के कब्जा सुपुर्द किया तथा राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थीगण की वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित क्रयशुदा कृषि भूमि में से आराजी नं. 2882 रकबा 0.07, आराजी नं. 2883 रकबा 0.14, आराजी नं. 2885 रकबा 0.08, आराजी नं. 3083/2881 रकबा 0.70 कुल किता 4 कुल रकबा 0.99 लगानी 3.09 प्रार्थीगण के नाम पर त्रुटिवश दर्ज करने से रह गयी जो वर्तमान में भी विपक्षीगण संख्या 1 से 3 के पूर्व खातेदारी श्री नारायणलाल पिता मगनलाल कलाल के नाम पर दर्ज चली आ रही है जबकि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित संपूर्ण कृषि भूमि पर दिनांक 23.09.1995 से कब्जा प्रार्थीगण का चला आ रहा है।

4. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण क्रय दिनांक 23.09.1995 से काबिज चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.09.1995 के अनुसार जरिये नामातंरकरण के प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित समस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज होने के विश्वास में रहे लेकिन वर्ष 2016 में प्रार्थीगण द्वारा अपनी क्रयशुदा कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु दस्तावेज प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विक्रय पत्र दिनांक 23.09.1995 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही की गयी यानि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व कर्मचारियो द्वारा त्रुटिवश प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करने से रह गयी। जो प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी एवं दावेदारी है।

5. यह कि उक्त जानकारी प्रार्थीगण को होते ही प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसका अनवान श्री नारायण वगैरा बनाम रतनलाल वगैरा हो प्रकरण सं. 92/2016 राजस्व वाद है जिसके सम्मन विपक्षीगण को प्राप्त हो चुके है तथा विपक्षीगण को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि विवादग्रस्त संपति विपक्षीगण के पिता के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश वक्त नामातंरकरण प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज नही हुई थी उनको विपक्षी सं. 1 से 3 अपने नाम पर दर्ज करा, अन्यत्र विक्रय करने की धमकी प्रार्थीगण को दिनांक 11.01.17 को दी। ऐसी स्थिति में वादीगण, विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है कि दौराने विचारण दावा प्रार्थना पत्र की कमल संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में विपक्षी सं. 4 किसी प्रकार से अमल दरामद नही करावे।

6. उपरोक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार संख्या 4 भूमिधारी होने एवं प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.09.1995 में वर्णित समस्त आराजीयात कृषि भूमि जरिये नामातंरकरण प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज नही करने से पक्षकार बनाये गये है। जो वर्मतान विपक्षी सं. 1 से 3 के पिता के नाम दर्ज है जिसका विपक्षी संख्या 1 से 3 जरिये नामातंरकरण खुलवाकर अपने नाम करा, अन्यत्र विक्रय करने हेतु आमदा है इसलिए विपक्षी सं. 4 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराई जोव कि दौराने विचारण दावा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि बाबत् राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार अमल दरामद नही करावे।

7. प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जरिये विक्रय पत्र संपूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर वर्ष 1995 में प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गयी है इसलिए प्रार्थीगण की क्रयशुदा संपति होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है तथा वर्ष 1995 से प्रार्थीण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज हो उपयोग व उपभोग करते चले आ

कलक्टर, ... जिला उदयपुर
नायक कलक्टर ... (क), जिला उदयपुर

रहे है तथा प्रार्थीगण के मकानात भी बने हुए है इसलिए सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में है यदि दौराने विचारण दावा विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्रदान नही फरमावये गये तो विपक्षी संख्या 1 से 3 मिलकर विपक्षी संख्या 4 से प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि का नामातंरकरण खुलवाकर अपने नाम पर दर्ज करा अन्यत्र विकय कर देगें जिससे प्रार्थीगण को अपनी बहुमूल्य संपति से वंचित होना पडेगा जिससे प्रार्थीगण को ऐसी भारी मानसिक व आर्थिक क्षति कारित होगी जिसका ऐवजाना रूपयो से आंका जाना संभव नही होगा। इसलिए सारभूत हानि का पक्ष प्रार्थीगएर के हक में है।

8. विवादग्रस्त कृषि भूमि मौजा देवास में स्थित होने से उपरोक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकारी माननीय न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 11.01.17 को उत्पन्न हुआ।
9. प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। दौराने विचारण दावा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि बाबत् राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 4 किसी प्रकार से अमल दरामद नही करावे व विपक्षीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे।
10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 25.01.17 को प्रार्थी वकील को सुना गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि को जरिये विकय पत्र दिनांक 23.09.1995 से स्वामित्वधारी होकर काबिज है । प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति कामय रखते हुए आगामी पेशी तक अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था।
11. विपक्षीगण की ओर से वकील श्री गोविन्द नारायण शर्मा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल प्रार्थी वकील को उपलब्ध करवाई गई।

    विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की ओर से निम्नानुसार जवाब पेश किया गयाः–

    1. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक मिथ्या होने से स्वीकार नही है। प्रार्थीगण का कोई वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए टि.एक्ट का नही है। बल्कि वाद संख्या 92/16 मात्र धारा 88 टि.एक्ट का होने से यह प्रार्थना पत्र वाद के अभाव में नही चल सकता है।
    2. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो वर्णित प्रकार से स्वीकार नही है। इस कलम में वर्णित संपूर्ण भूमि के प्रार्थीगण न तो खातेदार है और न ही कुलिया भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की है। बल्कि आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 हम विपक्षीगण संख्या एक से तीन के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की है।
    3. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 वर्णित प्रकार से स्वीकार नही है। विपक्षीगण के पिता द्वारा आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 का बिकाव कभी नही किया और न ही कभी प्रार्थीगण को कब्जा ही दिया गया। आज भी कब्जा काश्त हम विपक्षीगण का है।
    4. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 मिथ्या होने से स्वीकार नही है। विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 का विपक्षीगण के पिता द्वारा न तो कभी विपक्षीगण को बिकाव किया और न ही कब्जा ही प्रदान किया। आज भी एक मात्र कब्जा विपक्षीगण का है। प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात बिाव की होती तो अवश्य ही इसका कब्जा भी सिपूर्द किया जाता परन्तु उक्त आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 का कब्जा प्रार्थीगण को कभी भी प्रदान नही किया और इस वजह से दिगर आराजीयात के साथ उक्त आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज नही की। प्रार्थीगण ने बदनियति पूर्वक हम विपक्षीगण की कृषि भूमि आराजी नं. 2882, 2883, 2885,

सहायक कलक्टर, झाड़ोल

सहायक कलक्टर
झाड़ोल (क), जिला उदयपुर

3083/2881 को हडपने की गर्ज से मिथ्या वाद पत्र व यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। विशेष उत्तर में विस्तृत जबाब अंकित है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 मिथ्या अंकित होने से स्वीकार नही है। विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 पर प्रार्थीगण को न तो कभी उनको काश्त करते देखा है। आज भी एक मात्र कब्जा काश्त विपक्षीगण का है। यदि वादोक्त भूमि का विक्रय कर कब्जा प्रदान किया होता तो दिगर भूमि के साथ आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 का भी नामातंरकरण प्रार्थीगण के नाम खोला जाता परन्तु आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 का बिकाव ही नही किया और न ही कब्जा दिया गया इस कारण आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 को छोडकर शेष भूमि का नामांतरकरण प्रार्थीगण के नाम पर खोला गया जो सही खोला गया है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से होने के बावजूद अब 2016 में जानकारी होने का कथन मिथ्या है। राजस्व कर्मियो ने किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की है। और न ही प्रार्थीगण का मौके पर आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 पर कोई आधिपत्य ही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण किसी प्रकार से आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 को अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकार नही है। बल्कि आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 हम विपक्षीगण के कब्जे काश्त की होकर हमारे पिता के खातेदारी में दर्ज है। जो हमारी मौरूसी भूमि होकर हमारे स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। जिसे छल पूर्वक प्रार्थीगण नही हडप सकते है। प्रार्थीगण का वाद बेरून मयाद है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 मिथ्या होने से स्वीकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा हम विपक्षीगण को कभी भी नही कहां और न ही वे इसके अधिकारी है कि हमारे कब्जे काश्त की आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 भूमि को अपने नाम दर्ज करवा सके। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं बेबुनियाद है तथा बेरून मयाद वाद को किसी प्रकार छल पूर्वक मयाद में शुमार कराये जाने की गर्ज से यह मिथ्या कथन किया है। जो प्रार्थीगण का वाद नही चल सकता है। न ही प्रार्थीगण का कोई स्थाई निषेधाज्ञा का ही वाद है। न निषेधाज्ञा की कोई दाद अपने वाद में मांगी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का कोई निषेधाज्ञा का वाद ही नही है तो यह प्रार्थना पत्र नही चल सकता है। वाद सं. 92/16 केवल मात्र घोषणा का है। बकाया जवाब विशेष उत्तर में अंकित है। प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा काश्त ही नही है। न ही उक्त आराजीयात से उनका कोई सरोकार है तो धमकी दिये जाने का प्रश्न ही नही है। झूंठा प्रार्थना पत्र बनाये जाने के कारण मिथ्या कथन किया है।

7. यह कि वाद की कलम संख्या 6 में जहां तक भूमिधारी होने का प्रश्न है सही है। परन्तु समस्त आराजीयात का नामातंरकरण नही किये जाने के कारण पक्षकार बनाये है तो वादीगण को धारा 80 सी0पी0सी0 की पालना की जानी चाहिये थी। धारा 80 सी0पी0सी0 की पालना किये बिना वादीगण का इस कलम में उक्त कथन के आधार पर यह वाद नही चल सकता है। वादी वादीगण खारिज फरमावे। जब प्रार्थीगण का कोई स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ही नही है तो यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मैन्टेबल नही है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 8 वर्णित प्रकार से स्वीकार नही है। प्रार्थीगण ने सारा ही कथन गलत किया है। प्रार्थीगण का न तो कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण है और न ही प्रार्थीगण के पक्ष में कोई सुविधा संतुलन ही है और न ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अशोधनीय क्षति होना है। जबकि इसके विपरित हम विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है जो राजस्व रेकर्ड में हमारे पिता के नाम दर्ज है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टिया प्रकरण हमारे पक्ष में है। मौके पर एक मात्र काश्त हम विपक्षीगण का होकर हमारी बोई फसल आज भी मौके पर खडी है। ऐसी स्थिति में सुविधा संतुलन भी हम विपक्षीगण के पक्ष में है और यदि उक्त छल पूर्वक कथन के

सहायक कलक्टर
(फ), जिला उदयपुर

आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा की आड लेकर विपक्षीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो हम विपक्षीगण को अशोधनीय क्षति हो जावेगी। जबकि प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त ही नही है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 9 में जहां तक श्रवणाधिकार का प्रश्न है, कानूनी है। परन्तु प्राथीगण को प्रार्थन पत्र का कारण उत्पन्न होना स्वीकार नही है।

10. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 10 कानूनी है।

विपक्षीगण सं. 1 से 3 द्वारा विशेष उत्तर दिया गया है जो निम्नानुसार है:–

1. यह कि प्रार्थीगण का कोई स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ही नही है तो ऐसी स्थिति में यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। व विपक्षीगण को विशेष हर्जा खर्चा प्रदान कराया जावे।
2. यह कि प्रार्थीगण चालाक लोग है। विपक्षीगण के पिता जो कि अनपढ थे केवल हस्ताक्षर करना जानते थे। इस कारण प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के पिता के भोले पन का अवैध लाभी उठाये जाने की गर्ज से विपक्षीगण के पिता के नाम दर्ज कुलिया भूमि को विक्रय पत्र में अंकित कर छल पूर्वक हस्ताक्षर करवा पंजीयन करवा दिया जबकि आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 के बिकाव की कोई बातचीत तक नही हुई और जो भूमि बिकाव की गई उसी का कब्जा मौके पर प्रदान किया गया। जिसका एतराज उसी वक्त नामातंरकरण के समय किये जाने पर राजस्व कर्मिया द्वारा इसकी जांच की गई। आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 का कभी भी कब्जा मौके पर प्रार्थीगण को दिया ही नही। ऐसी स्थिति में जब बिकाव ही नही किया न ही कब्जा ही दिया गया तो वक्त नामातंरकरण मौके पर आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 पर कब्जे का हस्तांतरण नही होने से राजस्व कर्मियो द्वारा नामातंरकरण में आराजी नं 2882, 2883, 2885, 3083/2881 का अंकन नही किया जो सही किया है। यदि बिकाव की जाती तो अवश्य की मौके पर कब्जा प्रदान किया जाता।
3. यह कि प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की शुरू से जानकारी थी परन्तु जब तक विपक्षीगण के पिता श्री नारायणलाल जी जीवित थे तब तक इस बाबत प्रार्थीगण ने कभी कोई तकाजा नही किया और न ही कोई दावा ही पेश किया। क्योकि वे जानते थे कि आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 का बिकाव नही किया है एवं आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 पर प्रार्थीगण बराबर हम विपक्षीगण व हमारे पिता का कब्जा काश्त देखता आ रहे है। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थीगण का कथन सही होता तो हमारे पिता के जीवन काल में ही उजर करते। लेकिन तब उन्होने ऐसा उजर नही किया व उनकी मृत्यु के बाद छल पूर्वक उक्त मिथ्या वाद पेश किया है। जो नही चल सकता है।
4. यह कि प्रार्थीगण के नाम पर तथाकथित विक्रय पत्र 1955 का है जिसे 12 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का वाद बेरून मयाद होने से नही चल सकता है। वादीगण खारिज होगा। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही है।
5. यह कि वादोक्त कृषि भूमि आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 पर एक मात्र कब्जा काश्त हम विपक्षीगण का है। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नही चल सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

12. विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना व विशेष उत्तर का जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र एवं जवाब विशेष उत्तर प्रार्थी द्वारा निम्नानुसार निवेदित है कि:–

1. यह कि जवाब प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 का जवाब है कि प्रार्थीगण का राजस्व वाद संख्या 92/16 विचाराधीन होने के दौराने विपक्षी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थीगण को वादोक्त कृषि भूमि उनके नाम दर्ज करा विक्रय करने की धमकी देने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है तथा उपरोक्त

Akshay
कलक्टर
(क), जिला उदयपुर

अनवान का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 वर्णित प्रकार से अस्वीकार है प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित संपूर्ण भूमि पर प्रार्थीगण विक्रय दिनांक से काबिज हो काश्त चले आ रहे है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 वर्णित प्रकार से अस्वीकार है जिसका जवाब है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित संपूर्ण आराजीयात कृषि भूमि विक्रय की और कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द किया था लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा त्रुटिवश आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही करने से विपक्षी सं. 1 से 3 उनका कब्जा होने का मिथ्या कथन अंकित कर रहे है जबकि विपक्षी सं. 1 से 3 के पिता द्वारा विक्रय पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि वह गोगुन्दा ग्राम का निवासी है इस जायदाद की काश्त व निगानी की कठिनाई के कारण विक्रय की। जिससे भी स्पष्ट है कि विपक्षी सं. 1 से 3 के पिता द्वारा वर्ष 1995 को प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित संपूर्ण कृषि भूमि प्रार्थीगण को विक्रय कर, कब्जा सुपुर्द कर दिया जब से प्रार्थीगण वादोक्त संपूर्ण कृषि भूमि पर काबिज है और विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रारंभ से ही गोगुन्दा निवासी होकर वर्तमान में भी गोगुन्दा में निवास करते है।

4. यह कि जवाब प्रार्थना पत्र की कलम सं. 4 वर्णित प्रकार से अस्वीकार है जिसका जवाब है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित संपूर्ण कृषि भूमि वर्ष 1995 में विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रार्थीगण को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है एवं संपूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त की थी तथा राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित संपूर्ण आराजीयात में से जो आराजी कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने से रह जाने से विपक्षी संख्या 1 से 3 के मन में बदनियति आ गयी है इसलिए इस प्रकार से मिथ्या व मनघडन्त जवाब अंकित किया है।

5. यह कि जवाब प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 मिथ्या वर्णित होने से अस्वीकार है जिसका जवाब है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 का कभी भी वर्ष 1995 से वादोक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है न ही उनके स्वामित्व की है। जबकि विपक्षी सं. 1 से 3 के पिता ने संपूर्ण कृषि भूमि का मालिकाना हक वर्ष 1995 में ही प्रार्थीगण का हस्तांतरित कर, कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से प्रार्थीगण काबिज है व पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसार भी प्रार्थीगण वादोक्त संपूर्ण कृषि भूमि के मालिक है लेकिन केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो ने त्रुटिवश नामातंरकरण खोलते वक्त त्रुटि से पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित संपूर्ण आराजी प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज नही कर भारी भूल की है। जिसका बेजा लाभ विपक्षी संख्या 1 से 3 अब उठाने की नियत से इस प्रकार से मिथ्या व मनघडन्त आधारो पर जवाब प्रस्तुत कर रहे है। जबकि वादोक्त संपूर्ण कृषि भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक से प्रार्थीगण के आधिपत्य में चली आ रही है।

6. यह कि जवाब प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 वर्णित प्रकार से अस्वीकार है जिसका जवाब है कि वादोक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा वर्ष 1995 से चला आ रहा था लेकिन जब प्रार्थीगण को राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि का ज्ञान वर्ष 2015 में आया और पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित शेष आराजीयात रकबा जो प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व कर्मचारियो ने दर्ज नही किये उनको दर्ज कराने हेतु वाद माननीय न्यायालय आपने प्रस्तुत किया तब विपक्षी संख्या 1 से 3 ने वादोक्त कृषि भूमि को उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करा, अन्यत्र विक्रय करने की धमकी दिनांक 11.01.17 को दी उनके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है।

सहायक कलक्टर, गोगुन्दा जिला उदयपुर

Akshay
सहायक कलक्टर
गोगुन्दा (के), जिला उदयपुर

7. यह कि जवाब प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 7 का जवाब है कि विपक्षी संख्या 4 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गये है।

8. यह कि जवाब प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 8 का जवाब है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता ने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित संपूर्ण कृषि भूमि वर्ष 1995 में विक्रय कर प्रार्थीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया था उनके बाद उनका व विपक्षी संख्या 1 से 3 का वादोक्त कृषि भूमि से किसी प्रकार का कोई सरोकार नही है केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि से वादोक्त कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रह जाने से विपक्षी सं. 1 से 3 मिथ्या अंकित कर रहे है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा संतुलन सारभुत हानि प्रार्थीगण के पक्ष में है।

जवाब विशेष उत्तरः–

1. यह कि विशेष उत्तर की कलम संख्या 1 का जवाब है कि प्रार्थीगण को दौराने विचारण वाद विपक्षी संख्या 1 से 3 ने धमकिया दी इसलिए प्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो पूर्णतः मेन्टेबल है।

2. यह कि विशेष उत्तर की कलम संख्या 2 मिथ्या व मनघडन्त अंकित होने से अस्वीकार है जिसका जवाब है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वे गोगुन्दा में निवास करते है और उनका प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के काश्त व निगानी में कठिनाई होने के कारण उन्होने प्रार्थीगण को संपूर्ण कृषि भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णितानुसार विक्रय कर, कब्जा सुपुर्द किया था। लेकि पंजीकृत विक्रय पत्र का नामातंरकरण नही खोलते वक्त राजस्व कर्मचारियो ने त्रुटि की जिस कारण से पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित संपूर्ण कृषि भूमि का नामातंरकरण प्रार्थीगण के नाम पर नही खोला गया और उसी का बेजा लाभ विपक्षी संख्या 1 से 3 आज उठा रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता वर्ष 1995 से ही वाद पत्र में वर्णित संपूर्ण कृषि भूमि का विक्रय कर, कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द कर दिया था। जो विधि के अनुसार पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित संपूर्ण कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी। जो राजस्व कर्मचारियो ने भारी विधिक भूल की है जिस कारण से प्रार्थीगण को आज काफी मुश्किल का सामना करना पड रहा है और विपक्षी संख्या 1 से 3 ने कभी कोई ऐतराज नामातंरकरण खोलने बाबत् नही किया था केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि के कारण आराजी नं. 2883, 2885, 3082/2881, 2882 आराजीयात का नामातंरकरण नही खोला गया। जो विधिक तौर पर पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित संपूर्ण आराजीयात कृषि भूमि के स्वामित्व व आधिपत्यधारी प्रार्थीगण ही है।

3. यह कि विशेष उत्तर की कलम संख्या 3 वर्णित प्रकार से अस्वीकार है जिसका जवाब है कि प्रार्थीगण को पूर्व में कभी इस बारे में जानकारी नही हुई वर्ष 2016 में वादोक्त कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु दस्तावेज तैयार कराने वक्त उपरोक्त तथ्य की जानकारी हुई और विपक्षी संख्या 1 से 3 व उनके पिता का वर्ष 1995 के पश्चात् कभी भी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित संपूर्ण कृषि भूमि पर कब्जा नही रहा है, न ही वर्तमान में भी है। संपूर्ण कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रही है।

4. यह कि विशेष उत्तर की कलम संख्या 4 का जवाब है कि प्रार्थीगण के हक में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित संपूर्ण आराजीयात में से आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 का नामातंरकरण राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थीगण के नाम पर नही खोले जाने की जानकारी वर्ष 2016 में हुई इसलिए प्रार्थीगण का वाद अन्दर मियाद है।

5. यह कि विशेष उत्तर की कलम संख्या 5 मिथ्या वर्णित होने से अस्वीकार है पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित संपूर्ण कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का वर्ष 1995 से

सहायक कलक्टर, झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर

कब्जा चला आ रहा है और वर्ष 1995 से विपक्षी सं. 1 से 3 व उनके पिता का भी कोई प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा नही रहा है। पंजीकृत विकय पत्र में वर्णित आराजीयात में से आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 का नामातंरकरण राजस्व कर्मचारियो द्वारा नही खोला गया जिसका बेजा लाभ आज विपक्षी सं. 1 से 3 उठा रहे है। यदि विपक्षी संख्या 1 से 3 या उनके पिता को पंजीकृत विकय पत्र वर्ष 1995 बाबत् किसी प्रकार का ऐतराज होता तो वह उनको निरस्त कराने की कार्यवाही कराते जबकि आज दिनांक तक ऐसा नही हुआ केवल मात्र जो आराजी प्रार्थीगण के नाम पर विधि अनुसार दर्ज होने चाहिए थे वो राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि से विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम पर वर्तमान में दर्ज हो गये उनका बेजा फायदा विपक्षी संख्या 1 से 3 उठाने हेतु प्रयासरत है। इसलिए मिथ्या व मनघडन्त आधारो पर जवाबदेही कर रहे है।

13. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीन बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-** हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 23.09.1995 पेश किया है जिसके अनुसार विकेता नारायणलाल पिता मगनलाल कलाल द्वारा केता नारायणलाल, गणेशलाल, भगवतीलाल पिता खेमा तेली को आराजी सं. 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889 एवं 3085/2881 कुल किता 19 रकबा 1.48 हैक्टर विकय की गयी है। जमाबंदी संवत् 2069-72 मौजा देवास, पटवार हल्का देवास के अनुसार खाता सं. 137 के खसरा सं. 2871 से 2880, 2884, 2886 से 2889 कुल किता 15 कुल रकबा 0.49 हैक्टर प्रार्थीगण नारायणलाल, गणेशलाल, भगवतीलाल पिता खेमा तेली के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2069-72 मौजा देवास, पटवार हल्का देवास के अनुसार खाता सं. 138 के आराजी नं. 2882, 2883, 2885, 3083/2881 कुल किता 4 कुल रकबा 0.99 हैक्टर विपक्षीगण के पिता नारायणलाल पिता मगनलाल कलाल के नाम दर्ज है।
   प्रार्थनाग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार विपक्षीगण के पिता नारायणलाल पिता मगनलाल कलाल है परन्तु नारायणलाल पिता मगनलाल कलाल द्वारा उपरोक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजी प्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान किया है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के सद्भावी केता है।
   अतः प्रथम दृष्टया मामला सद्भावी केता होने के तौर पर प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होता

2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति:-** चूंकि प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त आराजी के सद्भावी केता है एवं दौराने मूलवाद निस्तारण विपक्षीगण यदि उपरोक्त आराजी का विरासत का नामातंरकरण स्वंय के नाम दर्ज करा भूमि का बेचान कर देते है तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा व प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य वाद बाहुल्य होगा। अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होता है।

14. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध तथ्यो पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश किया है व साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस आधार पर चाहते है कि प्रार्थीगण प्रार्थना ग्रस्त

सहायक कलक्टर, झाडोल * जिला उदयपुर *
सहायक कलक्टर
झाडोल (फ), जिला उदयपुर

आराजी के केता है जो कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के पिता से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी है और जिसका नामातंरकरण भूलवश प्रार्थीगण के नाम नही खोला गया। वही विपक्षीगण ने प्रार्थनाग्रस्त आराजी का कभी बेचान नही होना बताया व उनके स्वामित्व व कब्जे काश्त होना बताया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.09.1995 के अनुसार अन्य आराजी के साथ–साथ प्रार्थनाग्रस्त आराजी का भी बेचान प्रार्थीगण को किया जाना स्पष्ट होता है। इस विक्रय पत्र का विपक्षीगण द्वारा कोई खंडन नही किया गया है। मौके पर कब्जा किसका है व क्या प्रार्थनाग्रस्त आराजी का नामातंरकरण प्रार्थीगण के नाम दर्ज होना चाहिये, इसका फैसला मूलवाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर किया जाना है। परन्तु दौराने वाद निस्तारण विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त आराजी का बेचान कर देते है तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुए है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.का.अधि. 1955 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 रा. का. अधि. स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम देवास, पटवार हल्का देवास की आराजी नम्बर जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता सं. 138 (नई) एवं 93 (पुरानी) में आराजी नं. 2882, 2883, 2885 एवं 3083/2881 कुल किता 4 कुल रकबा 0.99 हैक्टर में विपक्षीगण मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति को बनाये रखेगें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनवाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर झाडोल
जिला उदयपुर